



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-165 राँची, सोमवार, 10 फाल्गुन, 1942 (श०)
01 मार्च, 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

19 फरवरी, 2021 ई०।

संख्या-10/सी.बी.आई.-409/2020- 977 -- झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं.-25) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक/शाखा प्रधान, सी०बी०आई०, ए०सी०बी०, राँची के पत्रांक- 885, दिनांक-19.11.2020 के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में श्री ए. के. चौबे, जी० एम०, मगध आम्नपाली एरिया, सी०सी०एल०, श्री कमल कुमार पाण्डा, चीफ मैनेजर (माईनिंग)/प्रोजेक्ट आ०फिसर, मगध ओ०सी०पी०, सी०सी०एल०, श्री पंकज कुमार झा, एरिया सर्वे आ०फिसर, मगध आम्नपाली एरिया, सी०सी०एल०, श्री जे०पी०सिंह, सीनियर मैनेजर, (माईनिंग)/कोलियरी मैनेजर, मगध ओ०सी०पी०, श्री सुबोध कुमार, सीनियर मैनेजर, (माईनिंग)/डिस्पैच आ०फिसर, मगध ओ०सी०पी०, सी०सी०एल० एवं श्री पंकज सोनी, डिप्टी सर्वेयर, मगध ओ०सी०पी०, सी०सी०एल०, चतरा तथा अन्य के विरुद्ध धारा-120 बी एवं सहपठित भा०द०वि० 420, 409, 468 एवं 471 तथा धारा 13 (2) सहपठित 13(1)(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अंतर्गत नियमित काण्ड दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

HOME, PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION**19 February, 2021.**

No.-10/C.B.I.-409/2020- 977 -- In exercise of the powers conferred by Section-6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police Establishment upon request made via letter number 885 dated 19.11.2020 of Superintendent of Police, Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of regular case against Shri A.K.Chaubey, GM, Magadh Amrapali Area, CCL, Shri Kamal Kumar Panda, Chief Manager (mining)/Project Officer, Magadh OCP, CCL, Shri Pankaj Kumar Jha, Area Survey Officer, Magadh Amrapali Area, CCL, Shri J.P. Singh, Sr. Manager, (mining)/Colliery Manager, Magadh OCP, Shri Subodh Kumar, Sr. Manager, (mining)/Dispatch Officer, Magadh OCP, CCL and Shri Pankaj Soni, Dy. Surveyor, Magadh OCP, CCL, Chatra and others u/s 120(B), r/w 420, 409, 468 & 471 of IPC and u/s 13(2) r/w 13 (1) (a) of PC Act. 1988 (as amended in 2018).

By order of the Governor of Jharkhand,

Dhanesh Kumar,

Under Secretary to Government.
